हास की विधिया

(METHODS OF DEPRECIATION)

हास का आयोजन करने के लिए नीचे लिखी प्रणालियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

(1) स्थायी किस्त प्रणाली (Fixed Instalment Method)—सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य एवं सम्पत्ति के जीवन-काल के आधार पर हास की रकम निर्धारित की जाती है। इसके अनुसार प्रति वर्ष सम्पत्ति के लागत-मूल्य या हास-योग्य-मूल्य (लागत-मूल्य या अविशष्ट मूल्य) में से एक स्थायी भाग हास के लिए लिखते जाते हैं और इस प्रकार सम्पत्ति के जीवन-काल के समाप्त होने पर उसका मूल्य भी शून्य या अविशष्ट मूल्य के बराबर हो जाता है।

यह पद्धति गणना के लिए सरलतम है तथा लाभ-हानि खाते में प्रतिवर्ष समान रकम दिखलायी जाती है। परन्तु समय बीतने के साथ मरम्मत पर व्यय बढ़ता जाता है और इस प्रकार शुद्ध लाभ पर प्रभाव प्रतिवर्ष स्थिर नहीं रह सकता, जो वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है। इस पद्धति में सम्पत्ति के हास की राशि जो सम्पत्ति की प्राप्ति के पहले वर्ष में है, वह ही अन्तिम वर्ष में होती है। मरम्मत व नवीनीकरण व्यय प्रथम वर्ष में कम, पर आगामी वर्षों में शनै:-शनै: बढ़ता रहता है। इस प्रकार मरम्मत, नवीनीकरण व हास की सकल राशि (aggregate amount) अन्तिम वर्षों में अधिकतम बढ़ जाती है।

(2) क्रमागत हास पद्धित (Diminishing Balance Method)—इस प्रणाली के अनुसार प्रतिवर्ष मूल्य (लागत-मूल्य-हास) पर एक निश्चित दर से हास का आयोजन किया जाता है। इस प्रणाली की विशेषता यह

है कि जैसे-जैसे सम्पत्ति की आयु समाप्त होती जाती है, वैसे ही वैसे प्रति वर्ष हास की रकम भी कम होती है कि जैस-जल प्राप्त आदि ऐसी सम्पत्तियां हैं, जिनकी आयु के समाप्त होने पर उनका कुछ-न-कुछ अविशष्ट रहती है। कार्य होता है। मूल्य अवश्य होता है।

अवश्य यदि किसी सम्पत्ति की लागत 25,000 रु. है और उस पर हास की दर 10% है तो उदाहरणाउँ $\frac{25,000}{10} = 2,500$ है तो $\frac{25,000}{10} = 2,500$ है तो दूसरे वर्ष में यह राशि 2,250 है होगी जो इस

प्रकार निकाली जायेगी :

25,000 - 2,500 = 22,500 रु. दूसरे वर्ष के प्रारम्भ में सम्पत्ति की लागत;

 $\frac{22,500}{10} = 2,250$ रु. दूसरे वर्ष के अन्त में हास।

(3) वार्षिक वृत्ति पद्धित (Annuity Method)—इस पद्धित के अनुसार हास की रकम प्रतिवर्ष वरावर हिती है। इसमें सम्पत्ति के ह्रास का आयोजन करने के साथ-साथ उस ब्याज की भी व्यवस्था की जाती है जो सम्पति के मूल्य के बराबर रकम के विनियोग करने से प्राप्त हो सकता था। वार्षिक-वृत्ति-तालिका (Annuity Tables) की सहायता से उस निश्चित रकम का पता लगाया जाता है। प्रति वर्ष हास की रकम बराबर रहती है और अनुमानित ब्याज की रकम घटती जाती है।

इस पद्धति का प्रयोग उन सम्पत्तियों के लिए किया जाता है जो लम्बे पट्टे पर ली जाती हैं तथा जिनका

मूल्य अधिक होता है।

(4) हास कोष पद्धति (Depreciation Fund Method)—इस विधि के अनुसार हास की रकम प्रति वर्ष हास कोष खाते (Depreciation Fund Account) में क्रेडिट कर दी जाती है और हास कोष खाते की रकम विनियोग कर दी जाती है। प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली ब्याज भी विनियोग कर दी जाती है। इस पद्धित की विशेषता यह है कि इसमें एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर हास की व्यवस्था की जाती है और सम्पत्ति के जीवन-काल के समाप्त होने के साथ ही इतना धन इकट्ठा होता रहता है जो सम्पत्ति के बेकार होने पर उसकी जगह नयी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होता है।

इस पद्धति का प्रयोग उन सम्पत्तियों के लिए किया जाता है जिनके बेकार होने के समय नयी सम्पत्तियों

के खरीदने की आवश्यकता होती है।

(5) वीमा पॉलिसी पद्धति (Insurance Policy Method)—इस पद्धति के अनुसार उतने वर्षों के लिए जिनमें कोई सम्पत्ति वेकार हो सकती है, एक बीमा पॉलिसी ले ली जाती है। एक ओर सम्पत्ति का हास होता रहता है और साथ ही साथ दूसरी ओर नयी सम्पत्ति खरीदने के लिए रुपया इकड्ठा होता रहता है। समय के अन में बीमा कम्पनी से सम्पत्ति के प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त रकम मिल जाती है।

हास कोष पद्धति तथा इसमें यही अन्तर है कि इसमें धन प्रति वर्ष प्रतिभूतियों की खरीद में विनियोग

^{न करके} बीमा पॉलिसी लेने में लगाया जाता है।

(6) पुनर्मूल्यन पद्धति (Revaluation Method)—कुछ सम्पत्तियां जैसे—कल-पुर्जे, पशु आदि ऐसी होती हैं जिनका जीवन अस्थिर होता है। इसी कारण इनका मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाता है। गत वर्ष के

भूल्य तथा नये मूल्य के अन्तर को ही हास समझा जाता है।

(7) चक्रवृद्धि व्याज पद्धित (Compound Interest Method)—विजली-पूर्ति कम्पनियों की स्थायी सम्पत्ति के हास की व्यवस्था करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली प्रायः हास कोष पद्धति की तरह ही है। अन्तर केवल यह है कि एक तो विनियोग बाहर नहीं किये जाते हैं और दूसरे ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष की हास की वढ़ती हुई रकम पर की जाती है। हास की रकम में ही उस रकम को जोड़ दिया जाता है। हास के लिए उतनी रकम की व्यवस्था की जाती है जितनी यदि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एकत्रित की जाय तो सम्पत्ति के जीवन के अन्त में उसकी लागत-मूल्य के 90% के बराबर रकम हो सके।

(8) कम करने की इकाई प्रणाली (Depletion Unit Method)—इस विधि का प्रयोग क्षयी सम्पत्तियों भैसे खानों आदि के सम्बन्ध में किया जाता है। हास की रकम मालूम करने के लिए खान के मूल्य में उसके अनुमानित उत्पादन (टनों) का भाग दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक खान में अनुमानित उत्पादन

5,000 टन कोयला है और उसका मूल्य 2,500 रुपये है तो हास 50 पैसे प्रति टन होगा। जैसे-जैसे कोयल निकाला जायेगा, वैसे ही वैसे हास की रकम निश्चित की जा सकेगी।

(9) उपयोग या किलोमीटर पद्धित (Use or Kilometre Method)—कुछ सम्पत्तियों जैसे मोटर आदि का हास उनके प्रयोग पर निर्भर होता है। यदि एक मोटर अपने पूरे जीवन-काल में 1,00,000 किमी. कल सकती है और यदि औसतन 10,000 किमी. प्रतिवर्ष चलती रहे तो वह 10 वर्ष में विल्कुल वेकार हो जायगी। पर यदि वह 1,00,000 किमी. पहले ही वर्ष में चलायी जाय तो एक वर्ष से अधिक नहीं चल सकती है। इस प्रकार इस पद्धित के अनुसार हास का निर्धारण सम्पत्तियों के द्वारा किये गये लाभ पर निर्भर होता है।

उसी प्रकार यन्त्रों के हास की रकम उनके एक वर्ष में काम करने के घण्टों के आधार पर निश्चित की जाती है। यह पद्धति देखने में सरल है परन्तु व्यवहार में कठिन होती है।

- (10) कुशलता घण्टा पद्धित (Efficiency Hour Method)—यह पद्धित 'मशीन घण्टा पद्धित' या 'उत्पादन इकाई पद्धित' या 'सेवा के घण्टों का आधार पद्धित' ('Machine Hour Method', or 'Unit of Production Method', or 'Hours of Service Method') के नाम से भी जानी जाती है। यह 'किलोमीटर आधार पद्धित' की तरह है। अन्तर यह है कि सम्पत्ति की कार्यशील अविध किलोमीटर के आधार के स्थान पर घण्टों के रूप में गणना की जाती है। यह उन मशीनों के लिए हास लगाने का अच्छा आधार है जिनकी कार्यशील अविध घण्टों के रूप में आंकी जाती है।
- (11) एकल-प्रभार पद्धित (Single Charge Method)—इस पद्धित में सम्पत्ति की कार्यशील अवधि के लिए उपयुक्त हास व मरम्मत व्यय की राशि के बराबर धन की स्थायी राशि लाभ-हानि खाते में डेबिट की जाती है तथा हास व मरम्मत खाते में क्रेडिट की जाती है। आगामी वर्षों में होने वाले मरम्मत व्यय इस खाते में लिखे जाते हैं।
- (12) सामूहिक विधि (Global Method)—इस पद्धति में सभी सम्पत्तियों के लिए हास की एक निश्चित राशि (flat rate of depreciation) प्रतिवर्ष चार्ज की जाती है। यह विधि अधिक प्रयोग में नहीं आती है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इस पद्धति के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है।